कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री प्रवीण कुमार कौशिक, प्रधानाचार्य, श्री लादूराम जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डवाड़ा जिला सीकर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जायल जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री प्रवीण कुमार कौशिक द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 479/2021 प्रवीण कुमार कौशिक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 479/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपिलार्थी श्री प्रवीण कुमार कौशिक के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में अपिलार्थी श्री प्रवीण कुमार कौशिक श्री लादूराम जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डवाड़ा जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्या श्रीमती सुषमा, का पदास्थापन/समायोजन शहीद श्रवण सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंतरी धोद जिला सीकर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/प्रवीण/अपील/479/21 **दिनांकः** 29-01-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)